

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय  
सेन्ट्रल एक्साइज बिल्डिंग, रेसकोर्स, वडोदरा-390 007


व्यापार सूचना सं. 08/2010  
वडोदरा, दिनांक : 18.08.2010

विषय : के.उ. शुल्क परिपत्र का परिचालन ।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र की प्रति आपकी सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित है :-

क्रमांक	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	Circular No. 930/20/2010-CX	09.07.2010

सभी व्यापार संघों/वाणिज्य मंडलों एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि इस सार्वजनिक सूचना को सभी सदस्यों के ध्यान में ला दें ।

  
(डॉ. आशिर त्यागी)  
अपर आयुक्त (तक.),  
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,  
वडोदरा-I


संलग्न : यथोपरि ।

फा.सं. IV/16-11/TN/Tech/08 Pt.I

वडोदरा, दि. 18.08.2010

प्रतिलिपि प्रेषित :- व्यापार तथा विभागीय डाक के अनुसार ।

(24)



F.No.261/03/2009-CX8  
 Government of India  
 Ministry of Finance  
 Department of Revenue  
 (Central Board of Excise & Customs)

Circular No. 930/20/2010-CX

(7)

New Delhi, dated the 9<sup>th</sup> July, 2010.

91-247

*Handwritten notes:*  
 Circular to all  
 C.A. (T)  
 26/3/10

All Chief Commissioners of Central Excise (including LTU),  
 All Commissioners of Central Excise (including LTU).

Sir Madam,

**Subject: Tolerance of breakage of bottles due to handling during storage and clearance-reg.**

It has been brought to the notice of the Board that some of the manufacturers of bottled beverages are claiming the benefit of duty exemption in respect of breakage of PET bottles upto 0.5% citing the Board's Instruction letter No. ID/3/70-CX8, as amended vide letter F.No. 261/ID/1/75-CX8 dated 17.09.1975. As per the letter dated 17.09.75, tolerance of 0.5% is allowed on account of breakage of bottles due to handling in the course of movements from the manufacturing area to bonded store rooms and breakages during storage and clearance therefrom. It has also been observed that in some judicial pronouncements, this benefit has been allowed to the parties, on the limited ground that the said instruction has not been rescinded/ modified by the Board and further the cenvat credit taken on bottles as input have been allowed to be retained by the assessee.

2. The matter has been examined. The instructions mentioned above were issued primarily in the context of use of glass bottles. At the relevant time, the scheme of Modvat/CENVAT credit was not available to the assesseees and, therefore, there was no issue of reversal of credit taken on bottles, which were subsequently broken/ destroyed. After the introduction of MODVAT and subsequent replacement of the same with CENVAT, any circular, instruction or provision inconsistent with the same has no relevance. As per the provisions of Rule 21 of Central Excise Rules, 2002, remission of duty before removal can be claimed on any goods lost or destroyed by natural causes or unavoidable accident, claimed by manufacturer to be unfit for consumption or marketing. The said remission is granted subject to the condition of reversal of cenvat credit taken on inputs used in the final product, as per the CircularNo.800/33/2004-CX dated 01.10.2004. Rule 3(5C) was also inserted in CENVAT Credit Rules, 2004, w.e.f 07.09.07, to specifically provide for the same. Further, as per Rule 3(5B) of CENVAT Credit Rules, 2004, if the value of any input is written off, the cenvat availed on the same is required to be reversed. Therefore, if the final product (i.e bottled beverage) is broken/ destroyed then remission can be claimed and if the bottle (input) is written off by the assessee as destroyed, the same is required to be dealt with as per the provisions of Rule 3(5B) of CENVAT Credit Rules, 2004.

3. In view of above, the application of the letters/ instructions quoted in para1 above, in the said judicial pronouncements, without recourse to the aforesaid provisions of law, is therefore *per incuriam*. Necessary action may be taken to safeguard revenue. Nevertheless, to avoid such disputes in future, it is stated that the instructions/ letters quoted in para1 above have no relevance in the present CENVAT scheme, and the instructions stand rescinded.

4. Trade & Industry as well as field formations may be suitably informed.
5. Receipt of this circular may kindly be acknowledged.
6. Hindi version will follow.

Yours faithfully,

(Amish Kumar Gupta)  
 OSD (CX-8)

*Handwritten notes:*  
 2017  
 AC  
 Tech

*Handwritten notes:*  
 Acft)  
 S.N.M.  
 17/7/10  
 Supdt(T)

फा.सं.261/03/2009-सी एक्स-8

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई, 2010

सेवा में,

सभी महानिदेशक,

सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त (एल टी यू समेत)

सभी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (एल टी यू समेत)

महोदय/महोदया,

विषय:- भंडारण एवं निकासी के दौरान प्रहस्तन के कारण बोतलों के टूटने की सहनशीलता के बारे में।

बोर्ड के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि बोतलबंद पेय के कुछ विनिर्माता दिनांक 17.9.1975 के पत्र फा.सं.261/आई डी/1/75-सी एक्स-8 के तहत यथा संशोधित बोर्ड के अनुदेश पत्र सं. आई डी/3/70-सी एक्स-8 को उद्धृत करते हुए पी ई टी बोतलों की टूट फूट के संदर्भ में शुल्क में 0.5% तक छूट का दावा कर रहे हैं। 17.09.75 के पत्र के अनुसार 0.5% की सहनशीलता विनिर्माण क्षेत्र से बांडेड भंडारगृह में ले जाने तथा भंडारण के दौरान और उससे निकासी के दौरान बोतलों की टूट फूट पर अनुमत है। यह भी देखा गया है कि कुछ न्यायालयीय निर्णयों के पक्षकारों को इस सीमित आधार पर यह लाभ दिया गया है कि बोर्ड द्वारा उस अनुदेश को निरसित/संशोधित नहीं किया गया है और इसके आगे बोतलों पर निविष्टि के रूप में ली गयी सेनवेट क्रेडिट को निर्धारितियों द्वारा बनाए रखने की अनुमति दी गयी है।

2. इस मामले की जांच की गयी। उपर्युक्त अनुदेश मुख्यतः शीशे की बोतलों के परिप्रेक्ष्य में जारी किए गए थे। संगत समय में निर्धारितियों को मोडवैट/सेनवैट क्रेडिट की योजनाएं उपलब्ध नहीं थी और इसलिए बाद में टूटी/नष्ट हुई बोतलों पर लिए गए क्रेडिट को वापस करने का मुद्दा ही नहीं था। मोडवैट शुरु होने के बाद तथा बाद में सेनवैट द्वारा इसके प्रतिस्थापन के बाद, इससे असंगत किसी परिपत्र, अनुदेश या प्रावधान का कोई अर्थ नहीं है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, प्राकृतिक कारकों या अपरिहार्य दुर्घटना से उपभोग या विपणन के अयोग्य किसी भी माल पर विनिर्माता द्वारा उसे हटाए जाने से पहले शुल्क में छूट का दावा किया जा सकता है। उपर्युक्त छूट परिपत्र

*Handwritten signature*  
16/7/10  
*तकनीकी*

*अध्यक्ष (तक)*  
21 गी. लान्से  
16/7/10

सं.800/33/2004-सी एक्स दिनांक 1.10.2004 के अनुसार इस शर्त के अधीन दी जाती है कि अंतिम उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर ली गयी सेनवेट क्रेडिट वापस कर दी जाएगी। इसका विशेष रूप से प्रावधान करने के लिए 7.9.07 से सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में नियम 3(5ग) जोड़ा गया था। इसके अलावा, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अनुसार यदि किसी निविष्ट के मूल्य को बढ़े खाते में डाला जाता है तो उस पर लिए गए सेनवेट को लौटाने की जरूरत होती है। अतः यदि अंतिम उत्पाद (अर्थात् पेय बोतल) टूट जाती/नष्ट हो जाती है, तो छूट का दावा किया जा सकता है और यदि अंतिम उत्पाद (पेय बोतल) को निर्धारिती द्वारा नष्ट के रूप में बढ़े खाते में डाला जाता है, तो उस पर सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ख) के प्रावधान लागू होंगे।

3. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, कथित न्यायिक निर्णय में उपर्युक्त पैरा 1 में उद्धृत अक्षरों/अनुदेशों का प्रयोग कानून के उपर्युक्त प्रावधानों का सहारा न लेने के कारण, बिना नजीर का है। राजस्व का रक्षोपाय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। फिर भी भविष्य में ऐसे विवादों से बचने के लिए, यह कहना है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उद्धृत अनुदेशों/अक्षरों का मौजूदा सेनवेट क्रेडिट योजना में कोई संगति नहीं है और वह अनुदेश निरसित समझा जाएगा।

4. व्यापार और उद्योग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित रूप से सूचित किया जाए।

5. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,



(आमिष कुमार गुप्ता)

ओ एस डी (सी एक्स-8)